

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगना में बाल गंगा नदी एवं भिलगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-रोन्दुल
तहसील-धनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

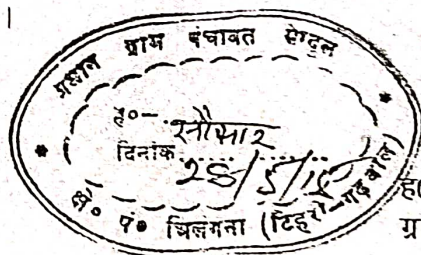
जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगना में बाल गंगा नदी एवं भिलगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.0850 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.0850 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रोन्दुल द्वारा दिनांक- 28/5/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रोन्दुल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रोन्दुल
ग्राम सचिव विकास खण्ड-भिलगना
जिला-टिहरी गढ़वाल



ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 28/5/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत..... से-डुल (कम)

[illegible]

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-बौर

तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.0850 है० आरक्षित वन भूमि 0.00 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.0850 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

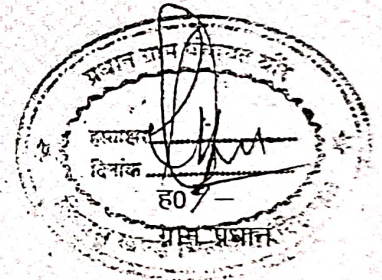
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बौर द्वारा दिनांक-28/5/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बौर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 28/05/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत.....११/५

[illegible]

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.085 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल एवं सायेम वन भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.0850 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रा में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-घनसाली) की दिनांक-12/6/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जगदीश लाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुर है :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. श्री जगदीश लाल, उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2. श्री हरेश्वर गो-प्रेम उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य। |
| 3. श्री सुदेश सहायक समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली। | सदस्य/सचिव। |
| 4. श्री सुदेश बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना। | सदस्य। |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु परियोजना हेतु 1.0850 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.0850 है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

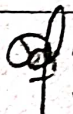
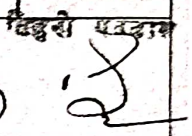
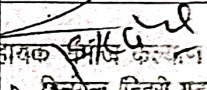
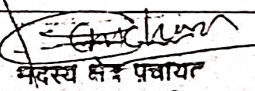

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

पत्रांक :- / तददिनांक।
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनाार्थ प्रेषित।


उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक-.....12/11/15 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु भू हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जगदीश लाल	उपजिलाधिकारी	 उपजिलाधिकारी
2	हेमशंकर अदोकर	उप प्रभागीय वनाधिकारी, धनसाली	 उप प्रभागीय वनाधिकारी
3	श्री सुरेश कुमार रेहिला	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4	श्री प्रदीप लेखन मिश्रा	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना	 क्षेत्र पंचायत सदस्य बहेडा नैलचामी बी०डी०सी० भिलंगना

Form-1
For linear projects
Government of India

Office of the district collector Tehri Garhwal

No. J-52/1 /XXVI-ALL-F /2015-16

Dated... 18/6/15

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **1.0850 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for **Construction of Motor Road with Steel Girder Bridge at Confluence of Balganga and Bhilangana River For Connecting Balganga College.** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Bhaunr and Sendul village (s) In Ghansali Tehsils.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.0850 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are included as annexure to annexure.....,
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.


S.D.M.
Ghansali
Tehri Garhwal


Signature
(Yugendra Singh)
District Collector,
Tehri Garhwal

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT -TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Yugal Kishor Pant I.A.S** District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Bhilangana Block area measuring **1.085 hect.** for the construction of **Construction of Motor Road with Steel Girder Bridge at Confluence of Balganga and Bhilangana River For Connecting Balganga College.** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...*New Tehri*

Dated:...*18/6/15*


(युगल किशोर पन्त)
अलाहबाद
District Collector & Chairman
District Level Committee

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of Motor Road with Steel Girder Bridge at Confluence of Balganga and Bhilangana River For Connecting Balganga College. scheme regarding FRA is as following .

Sr. No.		Remark
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 1.085 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

रघुवीर सिंह रावत
सदस्य
जिला पंचायत सदस्य
30, हट्टीगढ़ा बटली, गेट्टी हिन्दवा
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

समाज कल्याण अधिकारी
जिला
टिहरी गढ़वाल

प्रभु सिंह
प्रभु सिंह अधिकारी,
टिहरी क्षेत्र प्रभाग,
नई टिहरी।

अधिशाली अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली

युवाज सिंह
(युवाज सिंह)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।